दुनिया के सिर्फ पांच देशों के पास 4जी और 5जी दूरसंचार प्रौद्योगिकी

स्वदेशी 5जी, 4जी देश में इस साल, दुनिया में अगले साल : वैष्णव

गांधीनगर, 23 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि स्वदेश विकसित 5जी और 4जी दूरसंचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत देश में इस वर्ष से शुरू हो जाएगी जबकि विश्व को इन मंचों की पेशकश अगले वर्ष से शुरू की जाएगी। बिजनेस 20 मंच को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि दुनिया के सिर्फ पांच देशों के पास 'एंड-टू-एंड' 4जी-5जी दूरसंचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध है लेकिन निजी-सार्वजनिक भागीदारी के जरिए भारत ने भी अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसका परीक्षण एक करोड़ काल एक साथ आने की स्थिति के मद्देनजर किया गया है।

वैष्णव ने कहा कि निजी और सार्वजनिक साझेदारी को साथ लेकर चलने के हमारे रुख के कारण हमें समाधान मिल सका। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक कोष ने इसमें निवेश किया और बाकी का सबकुछ निजी भागीदारी से प्राप्त हुआ। 2023 के दौरान हम करीब 50,000 से 70,000 टावर, स्थलों पर इसे शुरू करेंगे और 2024 में इन प्रौद्योगिकी की पेशकश पूरी दुनिया को की जाएगी।

वैष्णव ने कहा कि निजी और सार्वजनिक साझेदारी को साथ लेकर चलने के हमारे रुख के कारण हमें समाधान मिल सका जिसमें मूल को विकसित किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक कोष ने इसमें निवेश किया और बाकी का सबकुछ निजी भागीदारी से प्राप्त हुआ। 2023 के दौरान हम करीब 50,000 से 70,000 टावर, स्थलों पर इसे शुरू करेंगे और 2024 में इन प्रौद्योगिकी की पेशकश पूरी दुनिया को की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कुछ विकट समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चार व्यापक राहें चुनी हैं जो आर्थिक प्रबंधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमन और नई प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित हैं। वैष्णव ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के वक्त पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी, अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गई थीं, ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो रुख अपनाया वह उपभोग पर केंद्रित था और वित्तीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा निवेश पर केंद्रित किया गया।

शेयर बाजार में आई मजबूती, सूचकांक 320 अंक चढ़ा

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

वैश्विक संकेतों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को आइटी एवं वित्तीय शेयरों में तगड़ी लिवाली से मानक सूचकांक 320 अंक चढ़ गया। इसके साथ ही बाजार में दो दिन से जारी गिरावट पर लगाम लगी। बीएसइ का 30 शेयरों वाला सूचकांक 319.90 अंक यानी 0.53 फीसद की बढ़त के साथ 60,941.67 अंक पर बंद हुआ। एक समय इसने 400 से अधिक अंक की बढ़त ले ली थी लेकिन बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई।

इसी तरह नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 90.90 अंक यानी 0.5 फीसद की तेजी के साथ 18,118.55 अंक पर पहुंच गया। सूचकांक में शामिल शेयरों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर्वाधिक 1.89 फीसद की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा सन फार्मा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एसबीआइ, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और नेस्ले के शेयर भी बढ़त पर रहे। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 4.62 फीसद के बड़े नुकसान के साथ बंद हुआ।

इसके अलावा एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाइटन के शेयर भी नुकसान में रहे। व्यापक बाजार में बीएसइ मिडकैप 0.44 फीसद चढ़ गया जबकि स्मालकैप में 0.30 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बाजार तेजड़िया कारोबारियों के कब्जे में रहा। बैंकों के मजबूत नतीजों से वित्तीय शेयरों को मजबूती मिली।

सूचकांक में शामिल शेयरों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर्वाधिक 1.89 फीसद की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा सन फार्मा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एसबीआइ, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और नेस्ले के शेयर भी बढ़त पर रहे।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के उपाध्यक्ष (तकनीकी शोध) अजित मिश्रा ने कहा कि मजबूत वैश्विक संकेतों के साथ अनुकूल तिमाही नतीजों ने लिवाली को समर्थन दिया जिससे आइटी शेयरों में खरीदारी को समर्थन मिला। हालांकि, कारोबार बढ़ने पर ऊर्जा, बैंकिंग एवं सीमेंट कंपनियों में बिकवाली होने से बढ़त कम हो गई।

एशिया और यूरोप के बाजारों में मजबूती का रुझान रहा। जापान का निक्की बढ़त के साथ बंद हुआ जबकि अधिकांश एशियाई बाजार लूनर नववर्ष के उपलक्ष्य में बंद रहे। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.17 फीसद की गिरावट के साथ 87.46 डालर प्रति बैरल पर आ गया।

रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 81.38 प्रति डालर पर

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 81.38 प्रति डालर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी से रुपए में यह गिरावट आई। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के रुख व डालर के कमजोर होने से रुपए की गिरावट पर कुछ अंकुश लग गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 80.92 पर मजबूत खुला और कारोबार के दौरान रुपए में 81.47 और 81.93 प्रति डालर के बीच घट बढ़ हुई। शुक्रवार को रुपया 19 पैसे की तेजी के साथ 81.17 रुपए प्रति डालर पर बंद हुआ था।

'सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन को वापस लिया जाए'

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

एनबीडीए ने सोमवार को आइटी नियमों के संशोधनों के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इसने सरकार को मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का बेरोकटोक अधिकार दिया है।

प्रशिक्षण केंद्र में कर्नल ने फांसी लगा कर की आत्महत्या

जबलपुर, 23 जनवरी (भाषा)।

मध्यप्रदेश के जबलपुर में भारतीय सेना के 43 वर्षीय कर्नल ने प्रशिक्षण केंद्र में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) प्रियंका शुक्ला ने कहा कि तकनीकी प्रशिक्षण रेजीमेंट (टीटीआर)-1 में कमांडिंग आफिसर के पद पर तैनात कर्नल निशीथ खन्ना का शव रविवार रात करीब साढ़े दस बजे सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर-1 के आफिसर्स मेस के कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें कथित तौर पर मृतक अधिकारी ने सारी लिखा था।

सीएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कर्नल खन्ना के इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे पारिवारिक विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी 25 अक्टूबर 2022 से अपने परिवार से दूर रह रहे थे।

प्रधानमंत्री ने युवाओं को दिया ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने का सुझाव

नई दिल्ली, 23 जनवरी, (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर युवाओं से बातचीत की और इस दौरान उन्हें ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की सलाह दी ताकि वे उन चुनौतियों के बारे में जान सकें जिनका उन्होंने सामना किया और कैसे उन पर विजय प्राप्त की।

प्रधानमंत्री ने संसद के सेंट्रल हाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए युवाओं के साथ 'अपने नेता को जानो' कार्यक्रम के तहत बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक यह बातचीत उनके आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई।

न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते, इसलिए उन्हें बदला नहीं जा सकता : किरेन रिजीजू

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सोमवार को कहा कि चूंकि न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोग उन्हें देखते हैं और न्याय देने के तरीके से उनका आकलन करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कालेजियम प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर हालिया समय में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध बढ़ा है। मंत्री ने तीस हजारी अदालत परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में यह टिप्पणी की।

रिजीजू ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण आम नागरिक सरकार से सवाल पूछते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पर हमला किया जाता है और सवाल किया जाता है और हम इसका सामना करते हैं। मंत्री ने कहा, 'अगर लोग हमें फिर से चुनते हैं, तो हम सत्ता में वापस आएंगे। अगर वे नहीं चुनते हैं, तो हम विपक्ष में बैठेंगे और सरकार से सवाल करेंगे।' उन्होंने कहा कि दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है तो उसे चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने कहा, 'न्यायाधीशों की सार्वजनिक पड़ताल नहीं होती है। चूंकि लोग आपको नहीं चुनते हैं, वे आपको बदल नहीं सकते। लेकिन लोग आपको आपके फैसले, जिस तरह से आप फैसला सुनाते हैं उसके जरिए देखते हैं और आकलन करते हैं तथा राय बनाते हैं।' उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छिपा नहीं है। रिजीजू ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ने उनसे सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों पर हो रहे हमलों के बारे में कुछ करने का अनुरोध किया था। वे जानना चाहते थे कि न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक भाषा को कैसे नियंत्रित किया जाए। न्यायाधीश सार्वजनिक मंच पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि सीमाएं हैं।

किरेन रिजीजू ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण आम नागरिक सरकार से सवाल पूछते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। सरकार पर हमला किया जाता है और सवाल किया जाता है और हम इसका सामना करते हैं। अगर लोग हमें फिर से चुनते हैं, तो हम सत्ता में वापस आएंगे। नहीं चुनते हैं तो हम विपक्ष में बैठेंगे।

नवाजुद्दीन की पत्नी के खिलाफ मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां की शिकायत पर उनकी पत्नी के खिलाफ कथित रूप से अनाधिकार प्रवेश और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

वरसोवा थाने के अधिकारी ने बताया कि अभिनेता की पत्नी जैनब के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी। उन्होंने बताया कि अभिनेता की मां, शिकायतकर्ता मेहरुन्निसा सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि जैनब ने उनके घर में घुसकर बहस करने के बाद उन पर हमला किया।

राजकुमार संतोषी को मिली जान से मारने की धमकी, शिकायत दर्ज

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की।

विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती को लिखे पत्र में संतोषी ने मौत की धमकी मिलने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया और औपचारिक रूप से अपनी फिल्म 'गांधी गोडसे एक युद्ध' के पत्रकार सम्मेलन के दौरान हाल की घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि निहित स्वार्थ वाले लोगों के एक समूह ने कार्यक्रम में बाधा डाली। संतोषी ने पत्र में कहा , बाद में कुछ अज्ञात लोगों से मुझे इस फिल्म की रिलीज और प्रचार रोकने के लिए कई धमकियां मिलीं। मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि अगर ऐसे लोग खुले घूमते हैं तो मुझे तथा मेरे परिवार को गंभीर नुकसान हो सकता है। घायल, दामिनी और पुकार जैसी हिट फिल्म बनाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता ने पुलिस से जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया।

पंजाब नैशनल बैंक | pnb punjab national bank

सर्कल शास्त्र सेन्टरः पूर्वी दिल्ली, मयूर विहार फेज-2, पॉकेट-ई दिल्ली-110091

शुद्धिपत्र

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 17.12.2022 को अंग्रेजी समाचार पत्र- 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 6) और हिंदी समाचार पत्र- 'जनसत्ता' (पेज नं. 20) क्रमांक 40 पर [मैसर्स एवीआई फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के ऋण खाते में] की सम्पत्ति अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इस सम्पत्ति को बैंक ने 25.01.2023 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है।
शेष ई-नीलामी सूचना यथावत रहेगी।

दिनांकः 23.01.2023 — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक | pnb punjab national bank

सर्कल शास्त्र सेन्टरः पूर्वी दिल्ली, मयूर विहार फेज-2, पॉकेट-ई दिल्ली-110091

शुद्धिपत्र

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 23.12.2022 को अंग्रेजी समाचार पत्र- 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 23) और हिंदी समाचार पत्र- 'जनसत्ता' (पेज नं. 21) क्रमांक 2 पर [मैसर्स श्री ललित शर्मा पुत्र श्री राम कुमार शर्मा एवं श्री गोपाल कृष्ण पुत्र श्री राम कुमार शर्मा के ऋण खाते में] की सम्पत्ति अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इस सम्पत्ति को बैंक ने 25.01.2023 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है। शेष ई-नीलामी सूचना यथावत रहेगी।

दिनांकः 23.01.2023 — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

RattanIndia Power Limited

Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31 December 2022

(Rs. Crore)

Sr. No	Particulars	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations	849.72	638.07	804.79	2,330.58	2,436.29	3,259.52
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(479.76)	(517.60)	(386.69)	(1,386.66)	(1,237.33)	(1,543.72)
3	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(479.76)	(517.60)	(386.69)	(1,386.66)	(1,675.06)	(1,981.45)
4	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(479.76)	(517.60)	(386.69)	(1,386.66)	(1,675.06)	(1,981.45)
5	Total comprehensive loss for the period [Comprising loss for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(479.78)	(518.98)	(386.69)	(1,388.06)	(1,675.94)	(1,982.01)
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)	5,370.11	5,370.11	5,370.11	5,370.11	5,370.11	5,370.11
7	Other equity as shown in the audited balance sheet						(8,031.91)
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)						
	-Basic (Rs.)	(0.89)*	(0.96)*	(0.72)*	(2.58)*	(3.12)*	(3.69)
	-Diluted (Rs.)	(0.89)*	(0.96)*	(0.72)*	(2.58)*	(3.12)*	(3.69)
	*(EPS for the quarter and nine months ended are not annualised)						

Notes:

(a) Additional information on standalone financial results is as follows:

Sr. No	Particulars	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations	849.72	638.07	804.79	2,330.58	2,436.29	3,259.52
2	Net profit for the period before tax	96.93	11.41	104.44	222.29	210.84	348.13
3	Net profit for the period after tax	96.93	11.41	104.44	222.29	210.84	348.13
4	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	96.93	10.18	104.44	221.06	209.90	347.54

(b) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website, www.rattanindiapower.com and on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

(c) The Auditors in their Auditor's Review Report on Consolidated Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
Sinnar Thermal Power Limited (STPL), is yet to commence operations and has incurred net loss amounting to Rs. 578.16 crore during the quarter ended 31 December 2022. As further explained in the aforementioned note, the management has assessed that the STPL's status as going concern for the purpose of accounting is appropriate basis the steps being undertaken. Further, STPL's accumulated losses as at 31 December 2022 amount to Rs. 11,209.00 crore and its current liabilities exceed its current assets by Rs. 15,885.24 crore as of that date. Also, STPL has defaulted in repayment of borrowings from banks, including interest, aggregating to Rs. 11,117.49 crore upto 31 December 2022.
The Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi (the 'NCLT') vide order dated 19 September 2022, admitted an application for insolvency filed by an operational creditor against STPL and initiated Corporate Insolvency Resolution Process ('CIRP') under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ('IBC'). However, subsequently, in response to the appeal filed against the NCLT order, the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal ('NCLAT') vide its order dated 26 September 2022 had directed the Interim Resolution Professional ('the IRP') to abstain from taking any steps and has allowed STPL to participate further with the Ministry of Power in continuation of the earlier meetings/ discussions for making the plant operational, as detailed in the aforesaid note.
In view of significant uncertainties associated with the outcome of CIRP proceedings and the outcome of ongoing discussions with the lenders to secure firm and unconditional commitment for providing working capital loans /bank guarantees required for executing the PPA, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on the appropriateness of going concern assessment of STPL by the management and/ or adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of assets including property, plant and equipment of STPL aggregating to Rs 7,739.33 crore and the liabilities aggregating to Rs. 15,922.12 crore as at 31 December 2022, included in the Group's consolidated financial results and the consequential impact thereof on the accompanying consolidated financial results for the quarter and year-to-date period ended 31 December 2022.

(d) The Auditors in their Auditor's Review Report on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
The Company has non-current investment of Rs. 1,211.82 crores (net of impairment charge of Rs. 1,814.40 crores) and inter-corporate deposit (classified under current assets) of Rs. 27.77 crores recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Nasik Power Limited) (STPL). STPL has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. As further explained in the aforementioned note, management has assessed that the STPL's status as going concern for the purpose of accounting is appropriate basis the steps being undertaken. Further, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi (the 'NCLT') vide order dated 19 September 2022, admitted an application for insolvency filed by an operational creditor against STPL and initiated Corporate Insolvency Resolution Process ('CIRP') under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ('IBC'). However, subsequently, in response to the appeal filed against the NCLT order, the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal ('NCLAT') vide its order dated 26 September 2022 had directed the Interim Resolution Professional ('the IRP') to abstain from taking any steps and has allowed STPL to participate further with the Ministry of Power in continuation of the earlier meetings/ discussions for making the plant operational, as detailed in the aforesaid note.
In view of significant uncertainties associated with the outcome of CIRP proceedings and in the absence of adequate evidence to support the appropriateness of going concern assessment of STPL, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidences to comment on adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the above mentioned non-current investment of Rs. 1,211.82 crores and inter-corporate deposit of Rs. 27.77 crores as at 31 December 2022 and the consequential impact thereof on the accompanying standalone financial results for the quarter and period ended 31 December 2022.

Registered Office : A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi - 110037
CIN: L40102DL2007PLC169082

On behalf of the Board of Directors
For RattanIndia Power Limited

Place: New Delhi
Date : 23 January 2023

Rajiv Rattan
Executive Chairman

प्रकाशन

ऋण वसूली न्यायाधिकरण -II चंडीगढ(डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35 ,सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नं.: ओए नं. 1265 /2022

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत समन।

केनरा बैंक

बनाम

मैसर्स दामिनी सूट फैशन और अन्य

सेवा,

1. मैसर्स दामिनी सूट फैशन, एक एकमात्र मालिक कंसर्न सी/ओ ई-1-58, सेक्टर- 11, डीएलएफ, दूसरी मंजिल, वाईएमसीए चौक, फरीदाबाद हरियाणा, अपने एकमात्र मालिक के माध्यम से। **पैन नंबरः बीडब्ल्यूपीपीजी4291आर**

2. श्री कृष्ण गोपाल पुत्र गजराज सिंह, एकमात्र मालिक मैसर्स दामिनी सूट फैशन, निवासीःमकान नं.148, सिही सेक्टर 8, फरीदाबाद हरियाणा।

सम्मन

जबकि, ओए/1265 /2022 को 13/12/2022 को माननीय पीठासीन अधिकारीध्रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि यह माननीय ट्रिब्यूनल रु.41,40,085.36/- (इकतालीस लाख चालीस हजार पच्चासी रुपये एवं छत्तीस पैसा मात्र)के ऋण की वसूली के लिए आपके खिलाफ दायर अधिनियम की धारा 19(4),(ओए) के तहत उक्त आवेदन पर सम्मनध्नोटिस जारी करता है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:

(i) सम्मन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बतायें कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर राहत क्यों न दी जानी चाहिए।

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के विवरण का खुलासा करना।

(iii) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या निपटाने से रोका जाता है।

(iv) ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन के क्रम संख्या 3 ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई संपत्तियां और ध्या अन्य संपत्ति और संपत्तियां, जिस पर प्रतिभूति हित बनाया गया है, उसे आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, उसके व्यवसाय के सामान्य कार्य को छोड़कर, किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित नही करेंगे।

(v) आप व्यापार के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों एवं संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए जिम्मेदार होंगे और इस तरह संपत्तियां की बिक्री से आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको आवेदक को उसकी एक प्रति के साथ लिखित विवरण दाखिल करने और दिनांक 17.04.2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं दिनांक 12.01.2023 को इस ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत दिया गया आदेश ।

रजिस्ट्रार आई/सी
डीआरटी-II, चंडीगढ़

COURT NOTICE

(complaint -138 Negotiable Instrument Act)
In The Court Of Ms. Shimpa Rani JMIC Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs
Guddu
CNR NO: PBLD03-022404-2020
COMA/5647/2020
Notice To: Accused No 1: Guddu S/o Zber Shah R/o Shahbad Nagar Panchayat Devran, Basudharan, Jagir Bareilly, bareilly Uttar Pradesh India
In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 22-02-2023 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Ravipal Singh Civil Judge (Junior Division) Ludhiana
PNB VS AF Creation
CNR NO: PBLD02-004376-2022
Next Date: 18-02-2023
the plaintiff prays for declaration ______
the plaintiff prays for permanent injunction against defendant no. restraining them/him from ______
Publication Issued To: 1. A F Creation Through Its Prop. Noorjahan W/o Mohd Safi, Situated At E-6, B-1235/150 Gali No.1, Vishal Colony Kakowal Road, Basti Jodhewal, Ldh 2. Noorjahan W/o Mohd Safi, Situated At E-6, B-1235/150, Gali No1, Vishal Colony Kakowal Road, Basti Jodhewal, Ldh
In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 18-02-2023 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
C J (Jun. Div.) Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana DATE: 27-02-2023
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Jatin Jain Vs Krishan Kumar
CNR NO: PBLD03-022944-2021
Publication Issued To: Krishan Kumar S/o Sh. Randhir Singh R/o Vpo Khera Karam Jind- 126102 (Haryana)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 27-02-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as directed above the said case will be heard and determined as per law, in your absence
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U67100MH2007PLC174759

खुदरा मध्य एवं पंजी. कार्यालय : एडलवेस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुंबई-400098

परिशिष्ट IV [नियम-8(1), अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न वर्णितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। इसके उपरांत, यहां इसमें वर्णित समनुदेशक, ने एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को वित्तीय परिसंपत्तियों का समनुदेशन कर दिया, यहां नीचे वर्णित अनेक न्यासों के न्यासी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत् रहते हुए/अपने आप भी (यहां इसमें इसके उपरांत "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित)। एसाइमेंट अनुबंधों के अनुपालन में, सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत, ईएआरसी ने एसाइनर का कार्यभार संभाल लिया है और इस प्रकार रेखांकित प्रतिभूति हितों, गारंटियों, बंधकों के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के संदर्भ में एसाइनर के समस्त अधिकार, नामाधिकार और हित, उधारकर्ता द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संदर्भ में ईएआरसी में निहित हो चुके हैं और इस प्रकार ईएआरसी प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करता है।

उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का अधिग्रहण, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक संपत्ति के समक्ष अंकित तिथि पर, कर लिया है।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निम्नांकित एक राशि और इस राशि पर ब्याज हेतु एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

एसाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना की राशि एवं तिथि	अधिग्रहण की तिथि	अधिग्रहण की स्थिति
पीएचएफएल	ईएआरसी ट्रस्ट एससी 438	HL/0179/H/19/100051	रविंदर (उधारकर्ता) शकुंतला (सह-उधारकर्ता)	रु. 18,26,085.23/- (रुपये अट्ठारह लाख छब्बीस हजार पिचासी एवं तेईस पैसे मात्र) एवं 26-03-2022	18-01-2023	सांकेतिक अधिग्रहण

संपत्ति का विवरण : बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूखंड सं. 518 पर, भू माप 7 बिस्वा 15 बिस्वांसी अर्थात् 387.5 वर्ग गज, खसरा सं. 518 मिन. में समाविष्ट, ग्राम डेरा मण्डी में लाल डोरा की विस्तारित आबादी में, तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित तथा भूखंड इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व- श्री जसवंथा की संपत्ति, दक्षिण- सड़क, पश्चिम- सुरजो की संपत्ति, उत्तर- राजिंदर की संपत्ति।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 24-01-2023

प्राधिकृत अधिकारी
कृते एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

www.readwhere.com